**सं. जे-11015/1/2011-एनएसएपी**
**भारत सरकार**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय**

**कृषि भवन, नई दिल्ली**
**दिनांकः 30 जून, 2011**

***कार्यालय ज्ञापन***

**विषयः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए दिशा-निर्देश।**

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 30 सितम्बर, 2009 के का.ज्ञा. सं. जे-11012/1/2009-एनएसएपी के माध्यम से जारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने का निदेश हुआ है। केन्द्रीय सहायता का दावा करने के प्रयोजनार्थ दिशा-निर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदंड यह था कि लाभार्थी की उम्र 18-64 वर्ष के आयु वर्ग में हो और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित हो।

2. मौजूदा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत उम्र सीमा को 65 वर्ष से कम कर 60 वर्ष करने संबंधी भारत सरकार के निर्णय के फलस्वरूप आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत अपंगता पेंशन के लिए पात्रता मानदंड को परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है, जो इस प्रकार हैः

**I. पात्रता मानदंड**

केन्द्रीय सहायता का दावा करने के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगेः

(i) अपंग व्यक्ति की उम्र 18-59 वर्ष के बीच होगी।

(ii) आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

3. 'पात्रता मानदंड', 'पेंशन की राशि', 'कवरेज प्रमाण-पत्र', 'निधियों का आवंटन' आदि के संबंध में अन्य प्रावधान वहीं रहेंगे जैसा कि दिनांक 30 सितम्बर, 2009 के का.ज्ञा. में उल्लिखित हैं।

सं. कु. राकेश
30.06.11

**(संजय कुमार राकेश)**
**संयुक्त सचिव, भारत सरकार**

**सचिव**
**एनएसएपी प्रभारी**
**सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**